Volume: 3 Issue: 5 Pages: 24-27

भारतीय मुस्लिम समुदायः भाषा एवं संस्कृति

*[1] डॉ.बेनज़ीर

*[1] अतिथि शिक्षक (हिन्दी विभाग), भगिनी निवेदिता कालेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, भारत।

Article Info.
E-ISSN: 2583-6528
Impact Factor (SJIF): 5.231
Peer Reviewed Journal
Available online:
www.alladvancejournal.com

Received: 15/April/2024
Accepted: 25/May/2024

***Corresponding Author**
डॉ.बेनज़ीर
अतिथि शिक्षक (हिन्दी विभाग), भगिनी निवेदिता कालेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, भारत।

सारांश:
भाषा व संस्कृति मनुष्य जीवन का अभिन्न अंग है। संस्कृति विशेष समूह के लोगों के सामूहिक विशेषताओं ज्ञान जैसे परम्पराओं, भाषा, धर्म, भोजन, संगीत, मानदंडो, रीति-रिवाजों और मूल्यों को संर्भित करती है, वही भाषा, समाज के निर्माण व सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण साधन है। भारत साझी मूल्यों वाली संस्कृति का वाहक है, कहने का आशय यह है कि देश का कोई भी व्यक्ति किसी भी समुदाय, जाति धर्म का क्यों न हो सर्वप्रथम वह देश का नागरिक उससे सम्बन्धित कोई भी समस्या उसकी निजी समस्या नहीं वरन भारतीय समस्या के रूप में देखा जाना चाहिए। यह सत्य है कि देश में प्रत्येक समुदाय अपनी खास सांस्कृतिक पहचान रखने के कारण एक दूसरे से कुछ भिन्न प्रतीत होते हैं जैसे-हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, इसाई तथा अन्य समुदाय। यदि बात मुस्लिम समुदाय के सन्दर्भ में की जाय तो, लोगों में इस समुदाय विशेष के प्रति अनेक भ्रांतियां है। इस लेख में इसकी वास्तविकता क्या है इसे समझने का प्रयास करेंगे। आज तेजी से बढ़ते बाजारवाद, उत्तरआधुनिकता ने अनेक चुनौतियों को जन्म दिया है। सांस्कृतिक मूल्य, भाषा आदि अपनी वास्तविकता खोते जा रहे हैं, जिसमें इस समाज के समक्ष अधिक कठिनाई खड़ी कर दी हैं। आजादी के लगभग सत्तर सालों बाद भी इनमें कोई खास परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ता। अनेक प्रश्न जैसे-नागरिकता का सवाल, उर्दू मुसलमानों की ही भाषा है, खानपान, वेश-भूषा, आधुनिकता विरोधी परम्परागत रूढ़िवादी समाज, अशिक्षित एवं आर्थिक बदहाली का शिकार, कट्टर धार्मिक कानून आदि जोकि इनकी धार्मिक व सांस्कृतिक विरासत है। ऐसे में भाषा एवं संस्कृति का प्रश्न विचारणीय है।

मुख्य शब्दः भारतीय मुस्लिम समुदाय, भाषा, समाज, संस्कृति, विवधता मे एकता' धर्म, अस्मिता।

प्रस्तावना:

भाषा व संस्कृति मनुष्य जीवन का अभिन्न अंग है। संस्कृति विशेष समूह के लोगों के सामूहिक विशेषताओं ज्ञान जैसे परम्पराओं, भाषा, धर्म, भोजन, संगीत, मानदंडो, रीति-रिवाजों और मूल्यों को संर्भित करती है, वही भाषा, समाज के निर्माण व सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण साधन है। भारत साझी मूल्यों वाली संस्कृति का वाहक हैए कहने का आशय यह है कि देश कोई भी व्यक्ति किसी भी समुदायए जाति धर्म का क्यों न हो सर्वप्रथम वह देश का नागरिक उससे सम्बन्धित कोई भी समस्या उसकी निजी समस्या नहीं वरन भारतीय समस्या के रूप में देखा जाना चाहिए। यह सत्य है कि देश में प्रत्येक समुदाय अपनी खास सांस्कृतिक पहचान रखने के कारण एक दूसरे से कुछ भिन्न प्रतीत होते हैं जैसे-हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, इसाई तथा अन्य समुदाय। यदि बात मुस्लिम समुदाय के सन्दर्भ में की जाय तो, लोगों में इस समुदाय विशेष के प्रति अनेक भ्रांतियां है। इस लेख में इसकी वास्तविकता क्या है इसे समझने का प्रयास करेंगे। आज तेजी से बढ़ते बाजारवाद, उत्तर आधुनिकता ने अनेक चुनौतियों को जन्म दिया है। सांस्कृतिक मूल्य, भाषा आदि अपनी वास्तविकता खोते जा रहे हैं, जिसमें इस समाज के समक्ष अधिक कठिनाई खड़ी कर दी हैं। आजादी के लगभग सत्तर सालों बाद भी इनमें कोई खास परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ता। अनेक प्रश्न जैसे-नागरिकता का सवाल, उर्दू मुसलमानों की ही भाषा है, खानपान, वेश-भूषा, आधुनिकता विरोधी परम्परागत रूढ़िवादी समाज, अशिक्षित एवं आर्थिक बदहाली का शिकार, कट्टर धार्मिक कानून

आदि जोकि इनकी धार्मिक व सांस्कृतिक विरासत है। ऐसे में भाषा एवं संस्कृति का प्रश्न विचारणीय है।

सातवीं सदी में इस्लाम के अस्तित्व में आने के पश्चात यह अरब व्यापारियों के कारण भारतीय संस्कृति के सम्पर्क में आयाए ग्यारहवी सदी तक आते.आते भारत में मुस्लिम संस्कृति ने अपनी जड़े जमा ली और इस समय तक हिन्दू. मुस्लिम संस्कृति का सम्बन्ध भी नया मोड़ ले चुका था। ऐसे में मुस्लिम समाज भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा बन गया। जब बारहवीं सदी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई तो उस समय मुस्लिम शासक वर्ग के रूप में उभरा। इस काल में हिन्दू-मुस्लिम के एक गहरा सम्बन्ध देखा सकता है। इस सम्बन्ध को बनाये रखने में शहरों से ज्यादा गावों की महत्वपूर्ण भूमिका थी । मध्यकाल के मुस्लिम समाज को गांव एवं शहर की संस्कृतियों के आधार पर भी विश्लेषित करके देखा जा सकता है। नामदेव ने मध्यकालीन ग्रामीण और शहरी जीवन की संस्कृति को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि ''हिन्दू.मुस्लिम दोनों संस्कृतियां धर्म प्रधान थी और यह संस्कृति शहरों में ही राजाओं, अभिजातवर्गीय लोगों और सम्पन्न व्यवसायिक वर्ग के संरक्षण में फली-फूली। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में गावों का चरित्र इससे भिन्न था । गांव आत्मनिर्भर हुआ करते थे । गांव का आर्थिक और सामाजिक जीवन कृषक और गैरकृषक आबादी के पारम्परिक सहयोग पर टिका हुआ था। गांव का यह सम्मिलित और सहयोगपूर्ण आर्थिक जीवन धार्मिक समुदायों के बीच भेदभाव और अलगाव को बढ़ने से रोकता था। ''स्पष्ट है कि आम जनता में हिन्दू और मुसलमान दोनों ही थे इसका शासक वर्ग से कोई लेना देना नहीं था। ''मध्यकालीन भारतीय समाज में मुख्य तीन संस्कृतियां थी: मुस्लिम अभिजातवर्गीय संस्कृति, हिन्दू अभिजातवर्गीय संस्कृति और साधारण जनता की संस्कृति । वस्तुतः साधारण जनता में हिन्दू मुसलमान के निचले तबके साथ आते थे जिनसे अभिजात वर्गो का कोई सम्बन्ध नहीं था।'' इस तरह से मुस्लिम समाज की संस्कृति भी वर्ग भेदों में विभाजित थी। इस समाज में उच्च अभिजातवर्गीय लोगो वंश, जाति तथा रक्त की शुद्धता पर विशेष ध्यान देते थे, जो निम्नवर्गीय जनता थी वह उच्च वर्ग के प्रति सदैव सम्मान और आदर का भाव रखती थी । मुस्लिम समाज में उच्च जातियों को 'अशरफ़' कहलाती थी और जिसमें शेख, सैयद, मुगल और पठान आते थे। दूसरा जो निम्न तबका था वह 'अज़लफ़' कहलाता था जिसमें कसाबए गद्दी, जुलाहा जैसी जातियों को रखा गया था। वर्तमान में भी लगभग यही स्थिति है, मुस्लिम समाज विभिन्न जातियों तथा उपजतियों में विभक्त है।

उन्नीसवी शताब्दी में अंग्रेजों का शासन स्थापित हो जाने के कारण अभिजात वर्गीय मुसलमानों की सत्ता छिन गयी । जिससे धीरे-धीरे इनका भाषायी और सांस्कृतिक वर्चस्व भी कमजोर पड़ने लगा। इस समय चूकि अंग्रेजों का प्रभुत्व होने के कारण सर सैयद अहमद खां ने भी अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया ताकि उच्च वर्गीय अभिजात मुसलमानों की पद प्रतिष्ठा बनी रहे तो दूसरी ओर उलेमाओं ने अंग्रेजी शिक्षा का कड़ा विरोध किया। यह सत्य है कि अंग्रेजो के आने से पहले मुस्लिम शासक एवं अभिजात वर्गो की भाषा 'फारसी' थी। यह मदरसों से शिक्षा प्राप्त किया करते थे लेकिन इनकी सत्ता छिनने के कारण यह अभिजावर्गीय मुसलमान और उलेमाओं ने अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए भाषा को सुरक्षित रखना जरूरी समझा । जिस कारण यह सर सैयद अहमद खान के विरोध में खड़े होकर उन्हें ही अपने धर्म और संस्कृति के विरूद्ध मानने लगे जबकि सर सैयद ने मुसलमानों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए ही अंग्रेज़ी शिक्षा का समर्थन किया था। इस तरह मुसलमान अभिजात वर्ग के लिए पाशचात्ये और अंग्रेजी शिक्षा को ग्रहण करना किसी खतरे से कम नहीं था। ''19वीं सदी में मुसलमान विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों में बटा हुआ था । उदाहरण के तौर पर स्वयं सर सैयद अहमद खान सामाजिक सुधार के मुद्दे पर अलग विचार रखते थे वे बड़े आधुनिक सुधारक और आधुनिक शिक्षा के पैरोकार थे। उन्होंने उत्साहपूर्वक विज्ञान का स्वागत किया और सोचा कि कुरान इसके विरूद्ध नहीं हो सकता । उन्होंने इसकी व्याख्या करते हुए कहा कि खुदा के शब्द (कुरान) खुदा के कार्य (प्रकृति) से अन्तर्विरोध नहीं हो सकता ।''

देश में जब तक फारसी भाषा न्यायालयों और प्रशासन की बनी रही तब तक अभिजातवर्गीय मुसलमान नौकरी कर अपना आर्थिक लाभ उठाते रहे लेकिन जैसे ही सन् 1938 में प्रशासन और न्यायालयों की भाषा को अंग्रेजी में तब्दील कर दिया गया इसका विशेष लाभ हिन्दू अभिजात वर्ग को मिलने लगा । इस वर्ग ने अंग्रेजी शिक्षा को ग्रहण में तत्परता दिखायी । जिसके कारण यह मुसलमानों से आगे निकलने लगे। इस तरह धीरे-धीरे हिन्दू और मुस्लिम दोनों समुदायों के बीच साम्प्रदायिक भावना ने जगह बनाना शुरू कर दिया और ऐसे में भाषा विवाद ने इस साम्प्रदायिक भावना को तुल देने का काम किया जिसके कारण अंग्रेजों की चाल और मजबूत होती गयी। वीरभारत तलवार का कहना है कि ''हिन्दू अभिजातवर्ग द्वारा मुसलमान हितों के खिलाफ हिन्दू हितों की रक्षा करने का आहवान 1860 से शुरू हो चुका था और झगड़े की असली जड़ दोनों के बीच पहले से चला आ रहा शक्ति समीकरण था जिसे हिन्दू अभिजात वर्ग अपने पक्ष में करना चाह रहा था तो मुस्लिम अभिजात वर्ग बरकरार करने की कोशिश कर रहा था । बहरहाल इन्हीं परिस्थितियों में हिन्दू अभिजात वर्ग ने हिन्दी के प्रश्न को हिन्दू प्रश्न के रूप में पेश किया और मुस्लिम अभिजात वर्ग ने उर्दू को मुस्लिम अस्मिता का प्रतीक बनाया।'' जिसके परिणामस्वरूप भारत में दंगे-फसाद भाषा, धर्म, संस्कृति के टकराव के कारण सामने आते रहे है।

19वीं शताब्दी में चैथे दशक तक आते-आते उर्दू फारसी के जगह पर अपनी स्थापित हो गयी । जबकि इस समय फारसी प्रशासन के निचले स्तर की भाषा थी । यहा स्पष्ट कर देना जरूरी है कि उर्दू न तो कभी मुसलमानों की भाषा रही है और नही किसी सम्प्रदाय विशेष की भाषा है। चूकि हिन्दू जाति के लोग पारम्परिक रूप से संस्कृत से गहरा जुड़ाव होने के कारण वह हिन्दी माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर रहे थे । जिसके कारण यह उर्दू न जानने के कारण कई सरकारी सेवाओं से वंचित रह जाते थे। इस

तरह से उर्दू और हिन्दी को लेकर एक तरह का अलगाव बढ़ता गया । स्पष्ट है कि उर्दू और हिन्दी विवाद के पीछे मुख्यतः आर्थिक कारण ही रहे लेकिन ऐसा न हो कर यह एक साम्प्रदायिक विवाद का हिस्सा बन गया।

आजादी के बाद देश में मुसलमानों का लगभग अशिक्षित, गरीब और बेरोजगार तबका ही रह गया जो आज भी रोटी कपड़े के लिए संघर्ष कर रहा है। यह बात कही न कही मुस्लिम समुदाय की संस्कृति के लिए को हिला देने वाली बात है । भारत में हो रही संकुचित और संकीर्ण राजनीति ने मुसलमानों की संस्कृति के लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। आज मुस्लिम समुदाय देश में अपने सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रहा है। कुछ मुसलमानों का जो मध्यवर्ग रह गया देश वह न तो पूरी तरह से इस समाज को नयी दिशा दे पा रहा है और न ही कुशल राजनीतिक नेतृत्व करने की क्षमता रखता है।

उर्दू भाषा को मुसलमानों की भाषा माने जाने के कारण आजादी के बाद इस भाषा में रोजगार के अवसर बहुत कम हो गये । यह केवल धार्मिक प्रचार और साहित्यिक अकादमी तक ही सीमित रह गयी। गौर करने वाली बात यह है कि उर्दू कभी भी मुसलमानों की भाषा नहीं रही फिर भी आज भारतीय मुसलमानों के लिए यह अवधारणा जड़ हो गयी है कि उर्दू भाषा केवल मुसलमानों की ही भाषा है। इसे कही न कही अधिकांश रूढ़िवादी मुसलमान भी यह मानता है कि उर्दू भाषा उसकी सम्पत्ति है। यह बात पूरे भारतीय समाज को आज समझने की जरूरत है कि भारत में रहने वाले कुछ ही राज्यों के मुसलमान हिन्दी बोलते है बाकि अपनी स्थानीय भाषा ही जानते है और इसी आधार पर उनके खान-पान, तथा वेश-भूषा, में भी अन्तर देखने को मिलता है। देखा जाए तो यही स्थानीय विशेषता ही मुसलमानों के लिए अपनी खास भाषा और संस्कृति है। इस संस्कृति में ही इनकी भाषा भी समाहित है। नासिरा शर्मा ने अपने लेख 'भारतीय समाज में मुसलमान' के मुताबिक इस बात पर जोर दिया है कि ''भारत में मुसलमानों की भाषा केवल उर्दू नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में वे उर्दू, हिन्दी, अवधी तानों भाषा बोलते है। वही मुसलमान दक्षिण भारत में उर्दू के स्थान पर तमिल, तेलगू, मलयालम, कन्नड़ और अंग्रेज़ी बोलता है। बिहार का मुसलमान भोजपुरी, मैथिली बोलता है। सिंधी मुसलमान सिंधी भाषा को मातृभाषा कहता है । जैसे पंजाबी, कश्मीरी मुसलमानों की भाषा उर्दू नहीं कश्मीरी और पंजाबी है। राजस्थान, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, बंगाल, मेघालय सभी इलाकों के लोगों की अपनी मातृभाषा है और मुसलमान उससे पृथक नहीं है। मगर दिलचस्प बात यह है कि भारतीय मुसलमान जिस भाषा में धर्म का पालन करता है, वह भाषा उसको नहीं आती। वह विदेशी भाषा है, जिसको वह निष्ठा के कारण पढ़ना जानता है । यही हाल पहनावे और खान-पान का है । दक्षिण भारत के मुस्लिम घरों के खाने उत्तर प्रदेश के व्यंजनों और स्वाद से बिल्कुल अलग होते हैं। उत्तर प्रदेश में बुढ़ी औरतें सुफियाना रंग पहनती हैं । मगर दक्षिण भारत में बुजुर्ग औरतें गहरे कपड़े धारण करती है।''

जहां तक उर्दू भाषा का सवाल है वह एक भारतीय भाषा है, ऐसी भारतीय भाषा है जो अन्य भाषाओं के शब्दों को अपने में समाहित किये हुए है। इसी कारण यह जन भाषा भी कहलायी क्योंकि इस भाषा को हिन्दू संस्कृति तथा मुस्लिम संस्कृति वाले दोनों धर्मो के लोगों ने अपनाया खासतौर से भारतीय भाषा के आधार स्तम्भ कहे जाने वाले कवियों और साहित्यकारों की भाषा रही है। इस तरह से उर्दू भाषा हमारी मिली-जुली संस्कृति का महत्वपूर्ण कड़ी है। जिसने एक समय में सभी को जोड़ने का काम किया। आज भले ही यह कुटनीतिक नेताओं के कारण हिन्दू-मुस्लिम विवाद के घेरे से बाहर नहीं निकल पा रही है। असगर अली इंजीनियर ने 'भारत की साझा संस्कृतिः कुछ विचार' में उर्दू भाषा को साझी संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग मानते हुए कहा है कि ''उर्दू भाषा भी अपने आप में हमारी मिली-जुली संस्कृति का महत्वपूर्ण प्रतीक है उर्दू का जन्म बाजारों और सामाजिक मेल-मिलाप के अन्य स्थानों पर तुर्को भारतीय मुसलमानों हिन्दुओं तथा अन्य समुदायों के सदस्यों के बीच आपसी मेल-जोल से हुआ था । उर्दू कभी मुगल दरबार की भाषा नहीं बनी और मुगलकाल के अन्त समय को छोड़कर वह मुख्यतः जनभाषा ही बनी रही । उर्दू अनेक भाषाओं और बोलियों का मिश्रण है जिसमें संस्कृत, ब्रज भाषा, हरियाणवी, मैथिली, पूरबी, फारसी और अरबी शामिल हैं।''

मुस्लिम समाज भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा है। जिसकी समाज के निमार्ण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसकी अपनी एक अलग विशेषता है। देश का दूसरा बड़ा समुदाय होने के कारण इसमें कही न कही भारतीय भाषा और संस्कृति को समृद्ध किया है। इसके साथ ही भारत में रह रही अन्य धर्म और संस्कृति तथा भाषाओं को भी आत्मसात कर अपनी सांस्कृतिक परम्परा को और भी विकसित, पुष्पित तथा पल्लवित किया है। मुस्लिम समाज ने देश में 'अनेकता में एकता' कही जाने वाली संस्कृति को गौरवान्वित करने अपना अहम रोल अदा करता रहा है। यह सत्य है कि भारतीय मुस्लिम समाज एक ऐसा समाज है जो अन्य मुस्लिम राष्ट्रों के मुसलमानो से भिन्न है और यह विभिन्नता देश में विभिन्न धर्मों के समान वंश, परम्परा, जाति में विश्वास रखने के कारण दिखाई देती है। यहा का प्रत्येक मुसलमान अपने को भारतीय नागरिक कहलाने पर गर्व महसूस करता है। निश्चित रूप से भारतीय मुसलमान वंश, परम्परा, जाति में विश्वास रखने के कारण यह अन्य मुस्लिम देशों के मुसलमानों से पूर्णतः भिन्न हो जाता है। लेकिन भारतीय मुसलमानों के लिए यह विभेदों ही कही न कही इनके सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से पिछड़ने के कारण भी रहे है। मुस्लिम समाज में कुटनीतिक राजनीति और दिन प्रतिदिन बढ़ती कट्टरता, रूढ़िवादिता, अन्धविश्वासों ने आज इस समुदाय को हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया है। जिसके करण यह भाषिक और सांस्कृतिक रूप से विवाद के घेरे में आ खड़े हो गये है। भारतीय मुस्लिम समुदाय भारतीय होने के बावजूद अन्य भारतीयों द्वारा आज भी शक की निगाह से देखा जाता है ।

उसके भारतीय होने पर प्रश्नचिन्ह लगाया जाता है। नासिरा शर्मा का इस सन्दर्भ में बड़े ही सटीक शब्दों में इसका जवाब देती है ''मुसलमान भारत की आबादी का एक ऐसा सच है जिसको नकारा नही जा सकता है। इसके वजूद को झुठलाना या उसको प्रताड़ित कारना भी सच्चाई से भागने का एक गैर जरूरी प्रयास है जो हमको केवल थकान दे सकता है । मगर हमको हमारी मनमांगी मुराद नहीं दे सकता है कि सारे मुसलमान पलक झपकते ही हमारी आखों से दूर चले जाए । मुसलमानों को नकारने का अर्थ है उन बहुत सारी मान्यताओं, परम्परा, विचार मुल्यों से इंकार करना जो हमारी सोच संवेदना में नहीं, बल्कि हमारे सृजन संसार में दाखिल होकर हमारी अभिव्यक्ति द्धारा साहित्य, नृत्य, चित्रकला, संगीत, वास्तुकला में इस तरह दाखिल हो गई कि उनको निकालने का अर्थ है, अपने को कुरूप करना।'' इस तरह से भारतीय मुसलमानों के अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता है और न ही इनके योगदान को भुलाया या मिटाया जा सकता है। नामदेव के अनुसार ''भारतीय समाज में मुसलमानों को लेकर जो कोमनसेंस बना है उसमें आधार से ज्यादा इतिहास का अविवेकपूर्ण अध्ययन और उसका अंध आत्मसातीकरण हुआ है । इतिहास के अविवेकपूर्ण अध्ययन से बनी इस छवि में मुसलमानों को हिंसकए क्रूर, मलेच्छ तथा हिन्दुओं की धार्मिक भावनाओं और उनके सांस्कृतिक प्रतीकों को दुश्मन माना जाता रहा है।'' यही कारण है कि भारत में रह रहे मुसलमानों को न तो उनका उचित हक मिल पाता है और न ही सामाजिक प्रतिष्ठा । उसे केवल विदेशी घोषित कर किया जाता रहा है या देश का दुश्मन ।

यदि मुस्लिम समाज और उसकी भाषा तथा संस्कृति को सुरक्षित रखना है तो सबसे पहले स्थानीय भाषाओं को सुरक्षित रखने की जरूरत है । यदि भाषा का अस्तित्व नहीं होगा तो उस समुदाय विशेष की संस्कृति अवश्य ही प्रभावित होगी । जिस दिन से भारतीयों की सोच मुसलमानों को लेकर इस दिशा में होगी कि भारतीय मुसलमान जिस भारत देश में रहता है, जिस मातृ-भूमि से उसका गहरा लगाव और जहां की मिट्टी में पलता बढ़ता है तथा अपनी उसी भाषा और संस्कृति से प्रेम करता है वह भला विदेशी कैसे हो सकता है यदि इस तरह देखने और सोचने का प्रयास करेंगे तो निश्चित ही भारत में रहने वाला प्रत्येक मुसलमान तथा अन्य भारतीय अपने पर गर्व करेंगे । इसी में हमारी और देश की भलाई है। कही ऐसा न हो कि हम विकास की दौड़ में पीछे रह जाये और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पिछड़ने लगे। क्योंकि सभी के विकास में ही देश का विकास निहित है। जिस तरह से शरीर के किसी एक अंग के न रहने पूरा पूरा शरीर कमजोर तथा निरर्थक हो जाता है । ठीक उसी प्रकार से बहुसंख्यकों के द्वारा अल्पसंख्यको को नीचा दिखा कर यह राष्ट्र पंगू ही हो सकता है विकास नहीं कर सकता है। इस तरह से देश में मुस्लिम समाज अपना समाजशास्त्रीय महत्व रखता है।

वर्तमान समय में देश में रह रही सभी समुदायो की भाषा और संस्कृति कही नकही खतरे में हुई है जिसको बाजारवाद एवं पाश्चात्य संस्कृति अपने चपेट में लेता जा रहा है इससे हमारी मातृभाषाओं पर संकट उत्पन्न हो रहा है, जिससे हमारी स्थानीय भाषा और संस्कृति पर खतरा बढ़ता ही जा रहा है। इससे देश में बहुत सी बोलियां धीरे.धीरे समाप्ती के कगार पर पहुच गयी हैं। आज विशेष रूप से इससे सावधान रहने की जरूरी । अपनी मातृभाषा और संस्कृति का सम्मान और इनकी रक्षा का दायित्व हम भारतीयों पर और ज्यादा बढ़ जाता है। भारतीय मुस्लिम समाज को अपनी संस्कृति और भाषायी अस्मिता के लिए अभी लम्बा संघर्ष करना होगा तभी वह राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय दोनों ही स्तर पर अपने को सुरक्षित और मजबूत महसूस कर सकेगा। इसके लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि देश में कोई भी संस्कृति तभी फल-फूल सकेगी जब हम स्वयं को आत्मशुद्धि से शुरू करके समाजशुद्धि की ओर बढ़ेगे अर्थात क्या कारण है कि भारतीय परिवेश रहने वाला मुसलमान हमेशा से अन्य समुदायों के द्वारा घृणा, ईष्र्या और द्वेष से देखा जाता है और उनकी नागरिकता पर उंगली उठाया जाता है। मेरा मानना है कि इसके लिए अगर अस्सी प्रतिशत जिम्मेदार अन्य भारतीय है तो बीस प्रतिशत जिम्मेदार खुद मुसलमान है। वह चाहे रूढ़िवादी परम्परागत सोच के कारण हो या अज्ञानता तथा अन्धविश्वास के कारण हो। इसलिए मुस्लिम समुदाय को भी अपनी कमियों और कमजोरियों को पहचान कर उसे दूर कर ज्ञान की दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। तभी वह अपनी भाषा और संस्कृति के प्रति सचेत हो पायेगा। आज मुसलमानों के साथ समस्त देशवासियों को इस दौर के नकली चमकदमन और बनावटीपन के बाजार से बाहर निकलने की आवश्यकता है ।

सन्दर्भ सूची:

1. नासिरा शर्मा 'राष्ट्र और मुसलमान', किताबघर प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण 2006.
2. असग़र अली इंजीनियर 'धर्म और साम्प्रदायिकता', वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण 2012.
3. नामदेव 'भारतीय मुसलमान हिन्दी उपन्यासों के आइने में', अनामिका पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण 2009.
4. वीर भारत तलवार 'रस्साकशी: 19 वीं सदी का नवजागरण और पश्चिमोत्तर प्रांत' सारांश प्रकाशन प्रा.लि., नई दिल्ली, प्रथम संस्करण 2000.